**न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।**

**उपस्थित :– (वीरेन्द्र कुमार चौबे)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
–सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,
मधेपुरा।**

B.P. No.-115/2026
ग्वालपाड़ा थाना कांड सं.–254/2024

1. **राजू यादव** उम्र करीब 38 वर्ष पिता स्व. रामचन्द्र यादव
(सा0–मोहनपुर [illegible] थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा)

.........आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....ओ.पी.।

12-03-2026 दिनांक 05.02.2025 से काराधीन अभियुक्त **राजू यादव** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 09.02.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। नियमित जमानत आवेदन–पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव को दी जा चुकी है।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

सूचक रवि कुमार साह के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–04.12.2024 को समय करीब संध्या के 19.30 बजे उसका छोटा भाई दीपक कुमार साह अपने लाल कलर का टी.वी.एस. अपाची मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या–BR10AQ4149 एवं चेचिस नम्बर MD634BE85P2E17216 इंजन नम्बर–AE8EP2816661 लेकर घर से अपने रिश्तेदार सारू के यहॉं मधेपुरा जा रहा था। इसी दौरान उसका भाई ग्वालपाड़ा प्रखंड के भलुवाही गॉंव के नजदीक पहुॅंचा तो पीछे से ओवर टेक कर काला कलर का पल्सर जिसमें तीन अज्ञात व्यक्ति सवार उसे रोक दिया। जिसके बाद तीनों मिलकर उसे गंदा–गंदा गाली–गलौज करते हुए उसे मुक्का फाईट एवं लाठी डंडा से बेरहमी से मारने लगा। मारपीट के क्रम में उसके हाथ पर चोट लग गया और उसका बाया हाथ टूट गया। जिससे वह बदहवास होकर रोड पर गिर गये और बेहोश हो गये इसके बाद जब उसे होश आया तो देखे कि उसका मोटरसाईकिल नहीं था और उसके जेब में रखा 15000 पन्द्रह हजार रूपया नगदी नहीं है। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण के द्वारा उसके भाई का इलाज कराने के बाद थाना लाया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या–254/2024 अन्तर्गत धाराऐं 304,3(5) बी.एन.एस. एवं बाद में जोड़ा गया धारा 309(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार, द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक पुर्णतः निर्दोष है और उनके उपर लगाये गये अभियोग का अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक को इस मुकदमा में उसके दुश्मनों के इशारे पर पुलिस को प्रभाव में लाकर झुठा फूसाया गया है इस आवेदक के विरूद्ध कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त भी नहीं है। इस अपराधिक घटना में संलिप्त होने का न तो केस डायरी में और न अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध है। यह आवेदक तथाकथित घटना में शामिल नहीं था और न हीं घटना की तिथि एवं समय पर वह घ

12-03-2026
लगातार.......

टनास्थल पर उपस्थित था। इस मुकदमा में इस आवेदक का नाम सह अभियुक्त सह अभियुक्त लड्डू मखिया के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जिसने उसने पुलिस के सक्षत दिया है के आधार पर लाया गया है जिसका कोई विधिक रूप से साक्ष्य का महत्व नहीं है एवं पुलिस के द्वारा सह अभियुक्त लड्डू मुखिया का न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस. के अन्तर्गत बयान दर्ज नहीं करवाया गया है। इस आवेदक के पास से लूट की मोटरसाईकिल या नगद रूपया बरामद नहीं हुआ है जिस कारण उसे विरूद्व धारा 304,309(4) बी.एन.एस. के अधीन का कोई मुकदमा नहीं बनता है। इस आवेदक को सह अभियुक्त से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है। इस मुकदमा के सह अभियुक्त लड्डु मुखिया, ओम कुमार एवं रमण मुखिया को नियमित जमानत बी.पी.नं.–1024 / 2025,1166 / 2025 एवं 1617 / 25 के द्वारा दिया गया है एवं इस आवेदक का भी मुकदमा उन्हीं सह अभियुक्त के समान है। आवेदक के फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अभियुक्त दिनांक–06.02.2025 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजन अधिकारी श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया तथा आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन–पत्र खारिज जाने की प्रार्थना किये हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के लिखित आवेदन, मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्त का नाम अनुसंधान के दौरान आया है। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक रवि कुमार साह की मोटरसाईकिल रोककर गाली–गलौज करते हुए उसे मारपीट कर जख्मी कर उसका मोटरसाईकिल एवं 15 हजार रूपया लूट लेने का आरोप है। मूल कांड दैनिकी के पैरा–2 में वादी का पुनः बयान में एवं पैरा–3,4,5 में साक्षी रामानंद साह, रौलेश साह, राहुल कुमार ने अज्ञात अभियुक्त के द्वारा मोटरसाईकिल एवं मोबाईल लूट लेने की बात कही है। पैरा– 33 में लूटी गयी मोटरसाईकिल सह अभियुक्त लड्डू मुखिया के पास से बरामद की गयी है तथा उसी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक अभियुक्त का नाम इस वाद में आया है। पैरा–111 में आवेदक अभियुक्त का बिहारीगंज थाना में **अपराधिक इतिहास** का वर्णन है जो क्रमशः –

1– बिहारीगंज थाना कांड संख्या–235 / 21 दिनांक–13.10.2021 धारा 392 भारतीय दंड विधान।

2– बिहारीगंज थाना कांड संख्या–176 / 2017 दिनांक–05.06.2017 धारा 392 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट।

3– बिहारीगंज थाना कांड संख्या–228 / 2017 दिनांक–27.07.2017 धारा 394 भारतीय दंड विधान।

4– बिहारीगंज थाना कांड संख्या–66 / 2018 दिनांक–29.03.2018 धारा 394 भारतीय दंड विधान।

5– बिहारीगंज थाना कांड संख्या–278 / 2024 दिनांक–20.08.2024 धारा 126(2),109,303(2), 351(2),3(5) बी.एन.एस.।

6– बिहारीगंज थाना कांड संख्या–26 / 25 दिनांक–22.01.2025 धारा 25(1–बी)ए,26 आर्म्स एवं

विद्वान अधिवक्ता के जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक अभियुक्त का **अपराधिक इतिहास** इस प्रकार है–

1– उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या–**22 / 2020**, **225 / 2021**, [illegible], [illegible]

12-03-2026
लगातार.....

2– बनमंखी रेल थाना सहरसा केस नं.–122 / 24

3– आलमनगर थाना कांड संख्या–**132 / 017**, **225 / 2017**, **74 / 2018**, **215 / 20121**, **22 / 2025** दर्ज है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त का कुल–16 अपराधिक इतिहास है।

आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–109 / 25 दिनांक– 31.03.2025 धारा 304,3(5) बी.एन.एस.एस. एवं परिवर्तित धारा 309(4), 317(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत समर्पित किया जा चुका है। पूर्व में अन्य सह अभियुक्तों को बी.पी.नं.– 1024 / 2025, बी.पी.नं.–1166 / 25 एवं बी.पी.नं.–1617 / 2025 के द्वारा दिनांक– 27.05.2025 एवं दिनांक– 10.07.2025 को आरोप गठन के पश्चात् जमानत का लाभ दिया गया है। जिसका अल्प आपराधिक इतिहास था। आवेदक अभियुक्त की ओर से अन्डरटेकिंग दिया गया है कि अन्य जिन आपराधिक मामलों में वह अभियुक्त है उनमें वर्तमान वाद एवं अन्य दो वाद को छोड़कर अन्य वाद में जमानत पर है। अभियुक्त का विस्तृत आपराधिक इतिहास है तथा वह अभ्यस्तः अपराधी प्रतीत होता है।

वाद के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा आवेदक अभियुक्त का **विस्तृत अपराधिक** इतिहास देखते हुए आवेदक अभियुक्त को इस स्तर पर नियमित जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त **राजू यादव** का जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ **खारिज** किया जाता है कि **आवेदक अभियुक्त आरोप गठन के पश्चात् अपने अन्य दो वादों में जमानत प्राप्त कर लेने के बाद इस वाद में पुनः नवीन जमानत आवेदन–पत्र दाखिल कर सकता है।**

लेखापित
Virendra Kr Choubey
12/3/26
(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह –स्पेशल जज, मधेपुरा।